प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति**
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी**
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./2/2019–20/1818-2 दिनांक: 28-05-19

विषयः वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 6 सप्ताह से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रो पर एवं 6 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों का स्कूलों में मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रसव केन्द्रों पर प्रशिक्षित स्टॉफ द्वारा एवं अन्य जन्मे बच्चों का गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

कार्यक्रम कें अन्तर्गत गितिविधियों का संचालन जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जाना है। निम्न गतिविधियों हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि जनपद के एलोकेशन/डैप का अंश है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु संबंधित एफ.एम.आर कोड पर प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि से अधिक धनराशि व्यय न की जाये। कार्यक्रम के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है।

1.3.1.7 डी.ई.आई.सी. हेतु ऑपरेशनल व्यय–

- जिला स्तर पर कार्यरत डी.ई.आई.सी. मैनेजर के लिए फोन एवं इन्टरनेट चार्जेज हेतु रु0 2000.00 प्रति वर्ष प्रति जनपद की दर से धनराशि का प्राविधान एफ.एम.आर. कोड 1.3.1.7 पर है (संलग्नक–1)।

2.2.3 मोबाइल टीम हेतु वाहन की व्यवस्था–

- आप अवगत हैं कि प्रत्येक मोबाइल हेल्थ टीम के लिए एक टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। वाहन का भुगतान ई–टेण्डर द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि (अधिकतम सीमा रु0 33,000.00 तक) के अनुसार ही किया जायेगा।
- जनपदों में वाहन के संचालन हेतु रु0 33,000.00 प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर से 6 माह हेतु धनराशि का प्राविधान एफ.एम.आर. कोड 2.2.3 पर किया गया है **(संलग्नक–1)**।
- **प्रत्येक वाहन पर राज्य स्तर से उपलब्ध कराये जा रहे प्रोटोटाइप के अनुसार Vehicle visibility protocols लगाया जाना अनिवार्य है। आगामी 6 माह हेतु धनराशि, वाहन पर प्रोटोकाल लगाने के बाद इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त आवंटित की जायेगी।**
- **वाहन व्यवस्था हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./2/2018–19/6473–2 दिनांक 14.09.2018 का अनुपालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा।**

2.2.4 सपोर्ट फॉर आर.बी.एस.के. (इन्टरनेट कनेक्शन एण्ड रेन्टल)–

- ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम को लैपटाप एवं डाटा कार्ड उपलब्ध कराने के उपरान्त उन्हें इन्टरनेट चलाने हेतु डाटा कार्ड रेण्टल रु0 200.00 प्रति टीम प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु धनराशि का प्राविधान एफ.एम.आर. कोड 2.2.4 पर किया गया है **(संलग्नक–1)**।

6.2.5.1 मोबाइल हेल्थ टीम हेतु औषधियॉं–

- मोबाइल हेल्थ टीम को स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. के अनुसार औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी है। इसके लिए कुल रु0 5000.00 प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान एफ.एम.आर. कोड 6.2.5.1 पर किया गया है **(संलग्नक–1)**।
- प्रत्येक टीम का दायित्व है कि मौके पर उपचारित बच्चों को दिये गये औषधियों को स्टॉक रजिस्टर में अंकित करें।
- आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. की जो औषधियां ब्लाक सी.एच.सी. / पी.एच.सी. स्तर पर उपलब्ध है उसके अतिरिक्त औषधियों के नियमानुसार क्रय के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाए।

8.1.7.1 मानव संसाधन–आर.बी.एस.के मोबाइल हेल्थ टीम–

पूर्व से तैनात निम्न विवरण के अनुसार मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि पूर्व वर्ष (2018–19) में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत बढ़ाकर आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि उनके परफार्मेन्स अप्रैजल के आधार पर ही की जानी है **(संलग्नक–2)**।

- **8.1.7.1.a चिकित्सा अधिकारी आयुष**
- **8.1.7.1.b चिकित्सा अधिकारी एम.बी.बी.एस. / बी.डी.एस.**
- **8.1.7.1.c स्टाफ नर्स**
- **8.1.7.1.d ए.एन.एम.**
- **8.1.7.1.e पैरामेडिकल / फार्मासिस्ट**

विशेष–

- एम.बी.बी.एस / बी.डी.एस. चिकित्सक के रिक्त पद पर आयुष चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर ए.एन.एम. तथा पैरामेडिकल स्टॉफ के रिक्त पद पर कम्प्यूटर में दक्ष एलोपैथिक फार्मासिस्ट रखे जायेंगे।
- टीम के मानकानुसार (चिकित्सक–2 (पुरुष–1, महिला–1), स्टॉफ नर्स / ए.एन.एम.–1 एवं पैरामेडिकल / फार्मासिस्ट–1) के अनुसार मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। अन्यथा / स्थानान्तरण की विशेष परिस्थिति में कर्मियों को ज्वाइन कराने से पूर्व आर.बी.एस.के. अनुभाग से अभिमत प्राप्त कर लें।
- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों को किसी भी दशा में अन्यत्र संबद्ध न करें, अन्यथा की दशा में कर्मियों का वेतन आर.बी.एस.के. के संबंधित मद से आहरित नहीं किया जा सकेगा।
- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो को प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घण्टे की सेवा प्रदान करना आवश्यक है तथा उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के खुलने के समयानुसार किया जाए।
- मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध कराये गये लैपटॉप के रिपेयरिंग एवं एन्टीवायरस आदि का कार्य ब्लाक / सी.एच.सी स्तर पर आर.के.एस मद में उपलब्ध धनराशि से किया जा सकता है।
- मोबाइल हेल्थ टीम को आवश्यक स्टेशनरी, पेन, पैड, पेपर आदि की व्यवस्था बी.पी.एम.यू. के ऑपरेशनल मद से किया जा सकता है।
- जनपद आजमगढ़, भदोही एवं बुलन्दशहर में एक–एक ब्लाक सक्रिय नहीं है। अतः इन 3 ब्लाक हेतु धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है।

12.5.4 आर.बी.एस.के. कार्ड / रजिस्टर / प्रपत्र–

- पूर्व की भॉति ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम के लिए माइक्रोप्लान एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने है, जिसके लिए रु0 1,000.00 प्रति ब्लाक की दर से धनराशि प्राविधानित है। तैयार माइक्रोप्लान की एक–एक प्रति बाइण्डिंग कराकर शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस. एवं ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेगे।
- आर.बी.एस.के. कार्ड एवं रजिस्टर के मुद्रण का कार्य राज्य स्तर से किया जायेगा।

16.1.1.1.4 माइक्रोप्लान तैयार करना–

- कार्यक्रम के सुचारु रुप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर शिक्षा विभाग एवं आई.सी. डी.एस. के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2019–20 माइक्रोप्लान तैयार किया जाना है। इस हेतु जनपद के समस्त ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने स्तर पर तत्काल अन्तर्विभागीय अधिकारियों (Block official of education, ICDS, Social justice and empowerment, tribal welfare for Ashram school, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya and Kendriya Vidyalya) की बैठक आयोजित कर माइक्रोप्लान बनवाना सुनिश्चित करें। इस बैठक हेतु एफ.एम.आर. कोड 16.1.1.1.4 पर रु0 500.00 प्रति ब्लाक की दर से धनराशि का प्राविधान है **(संलग्नक–1)**। तैयार माइक्रोप्लान (बुकलेट) की एक प्रति शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस. ए.एन.एम एवं आशा को देते हुए एक सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर को प्रेषित की जाए। ए.एन.एम. आशा, एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की मासिक बैठक में मोबाइल हेल्थ टीम के क्रियाकलाप की जानकारी साझा करते हुए निश्चित दिवस पर विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्र पर आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं ए.एन.एम. की उपस्थिति हेतु सहयोग प्राप्त किया जाये।

16.1.2.1.7 आर.बी.एस.के. कन्वर्जेन्स एवं मानिटरिंग मिटिंग

- जनपद स्तर पर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु नियमित त्रैमासिक बैठक की जानी है। बैठक में शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केन्द्र विद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी तथा मोबाइल हेल्थ टीम के समस्त सदस्य उपस्थित रहेगें। साथ ही कम्यूनिटी प्रोसेस, बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य से संबन्धित नोडल अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। इस बैठक में टीम के सदस्यों को नवीन जानकारिया देते हुए उनके कार्य के संबंध में संवेदीकृत किया जाये। समीक्षा हेतु 5000.00 प्रति बैठक की दर से 3 बैठकों के लिए धनराशि का प्राविधान एफ. एम.आर. कोड 16.1.2.1.7 पर दिया गया है **(संलग्नक–1)**।

16.8.2.1.1 डी.ई.आई.सी. मैनेजर का मानदेय–

- जनपद स्तर पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुचारु रुप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु डी.ई. आई.सी. मैनेजर की तैनाती की गई है, जिनके मानदेय की धनराशि पूर्व वर्ष (2018–19) में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत मानदेय बृद्धि एवं 10 प्रतिशत लायलटी बोनस की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि उनके परफार्मेन्स अप्रैजल के आधार पर ही की जानी है। मानदेय बृद्धि एवं लायलटी बोनस का भुगतान वित्त अनुभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देशानुसार/नियमानुसार किया जाना है।
- नवीन डी.ई.आई.सी. मैनेजर के मानदेय के लिए रु0 33,000.00 प्रतिमाह की प्रति माह की दर से धनराशि का प्राविधान एफ.एम.आर. कोड 16.8.2.1.1 पर किया गया है (संलग्नक–1)।
- डी.ई.आई.सी. मैनेजर को आवश्यक स्टेशनरी, पेन, पैड, टोनर, एन्टीवायरस, पेपर आदि की व्यवस्था डी. पी.एम.यू. के आपरेशनल मद से किया जा सकता है।

कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु कर्तव्य एवं दायित्व–

मोबाइल हेल्थ टीम का दायित्व–

- प्रत्येक टीम एक दिन में एक स्कूल एवं एक आंगनवाणी अथवा दो आंगनवाडी केन्द्रो का भ्रमण सुनिश्चित करेगी। टीम तद्नुसार वार्षिक माइक्रोप्लान तैयार कर आई.सी.डी.एस. एवं शिक्षा विभाग के संबन्धित अधिकारियों को प्रति उपलब्ध करायें।
- निर्धारित क्षेत्र भ्रमण तिथि से दो दिन पूर्व संबन्धित स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं आशा तथा ए.एन.एम. को अवगत करायें।
- क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपने साथ आवश्यक औषधियां, उपकरण एम.एच.टी. रजिस्टर (स्कूल एवं आंगनवाड़ी) एवं आर.बी.एस.के. कार्ड अवश्य रखें।

- संदर्भित बच्चों का लाइन लिस्ट तैयार करें।
- संदर्भित बच्चों के सापेक्ष प्रत्येक स्तर (सी.एच.सी., जिला चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेज/उच्च स्वास्थ्य इकाई) पर उपचारित बच्चों की सूची तैयार करें।
- प्रसव इकाई में जन्में बच्चों का बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण का मासिक रिर्पोटिग फोंमेट में अंकन व लाइनलिस्ट बनाना।
- आशा के माध्यम से एच.बी.एन.सी. के दौरान घरेलू प्रसव में जन्में बच्चों एवं उनके पाये जाने वाले बर्थ डिफेक्ट्स की सूचना बी.सी.पी.एम. के माध्यम से अपने मासिक रिर्पोटिग में अंकित करें।
- संदर्भित किए गए बच्चों का नियमित रूप से फॉलोअप करें।
- नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के./डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन।
- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो को प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घण्टे की सेवा प्रदान करना आवश्यक है। उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के खुलने के समयानुसार योजित किया जाए।
- क्षेत्र भ्रमण के उपरान्त ब्लाक स्तर पर अपना कार्य प्लानिंग, माईक्रोप्लान, रिपोर्टिंग, ऐप आदि पूर्ण कर ससमय रिपोर्ट डी0ई0आई0सी0 मैनेजर/जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायें।
- बच्चों का संदर्भन निश्चित दिवस (शनिवार) को सी.एच.सी. से जिला चिकित्सालय तक आर.बी.एस.के वाहन के माध्यम से किया जाये तथा उपचार के उपरान्त पुनः वाहन से सी.एच.सी पर वापस पहुचा दिया जाये।
- प्रदेश में कार्यक्रम का मूल्यांकन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाना है, अतः समस्त द्वारा मोबाइल ऐप से किए जाने वाले कार्य का सम्पादन में सहभागिता अनिवार्य है। इस हेतु दिशा निर्देश पृथक से भेजे जा रहें है।

<u>प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का दायित्व–</u>

- मोबाइल हेल्थ टीम का माइक्रोप्लान तैयार कराना एवं तदनुसार भ्रमण कराना।
- टीम को आवश्यक औषधियां एवं उपकरण उपलब्ध करवाना।
- वाहन पर विजिबिलिटी प्रोटोकॉल तथा उनकी समय से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- टीम हेतु क्षेत्र भ्रमण का मूवमेंन्ट रजिस्टर तैयार करवाना एवं उसका फॉलोअप।
- प्रत्येक बच्चे का आर.बी.एस.के. कार्ड भरवाना एवं मोबाइल हेल्थ टीम रजिस्टर के सभी कॉलम भरना सुनिश्चित करवाना।
- प्रत्येक माह निश्चित दिवस पर सहयोगी विभागों के प्रतिनिधि (सी0डी0पी0ओ0, बी0ई0ओ0 व अन्य) व मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों के साथ कार्यक्रम की नियमित समीक्षा बैठक करना तथा आवष्यकतानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करना। समीक्षा बैठक आख्या को जिला नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के/डी.ई.आई.सी. मैनेजर को प्रेषित करना।
- ब्लाक स्तर पर तैनात दोंनो टीमों के किया कलाप हेतु एक कमरा उपलब्ध करा दें।

<u>डी0ई0आई0सी0 मैनेजर–आर.बी.एस.के. के दायित्व–</u>

- डी.ई.आइ.सी0 मैनेजर डी.पी.एम.यू. कार्यालय अथवा स्थापित डी.ई.आई.सी. में निर्धारित स्थान पर बैठेगे।
- सभी मोबाइल हेल्थ टीमों का पूरे एक वर्ष का माइक्रोप्लान बनवायेगें तथा जिले स्तर पर कम्पाइल कर संबंधित से साझा करते हुए राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें।
- जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक से समन्वय करते हुये सप्ताह में कम से कम 2–3 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अग्रिम मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनायेगें। भ्रमण योजना की एक प्रति राज्य स्तर पर भी साझा करेगे। क्षेत्र भ्रमण के लिये जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक अथवा मॉनिटरिग एवं सुपरविजन हेतु जनपदों में उपलब्ध वाहनों का अन्य अधिकारियों के साथ उपयोग किया जा सकता है।

- भ्रमण के दौरान मोबाइल हेल्थ टीम, लाजिस्टिक आदि से संबंधित पायी गयी कमियों को ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से साझा कर समस्या का निदान करवायेगें। नियमित रुप से इसकी जानकारी जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी देगें। प्रत्येक माह की भ्रमण आख्या के प्रमुख बिन्दु तथा उन पर की गयी कार्यवाही को संकलित कर जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले त्रैमासिक बैठक में चर्चा की जायेगी एवं उसकी एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
- आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत सन्दर्भित बच्चों का चिकित्सा इकाईयो के नोडल अधिकारियो से समन्वय स्थापित करते हुये निःशुल्क उपचार करवाना तथा उनका फालो–अप सुनिश्चित कराना।
- एक जनपद से दूसरे जनपद में मेडिकल कालेज/डी0ई0आई0सी0 स्तर पर संदर्भित किये जाने वाले बच्चों के संदर्भन हेतु मातृ जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा संबंधित जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाये। अन्य जनपदों को संदर्भित बच्चों की लाइनलिस्ट एवं उनका फालोअप प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये।
- आर.बी.एस.के से संबंधित सूचनाओं को एच.एम.आई.एस., यू.पी.एच.एम.आई.सी., आर.बी.एस.के. साफ्टवेयर एवं मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप में विभिन्न स्तरों पर अपलोड कराना। उपलब्ध ऑकड़ों को जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुत करना।
- जनपद स्तर पर होने वाली मासिक बैठको एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठको में आर.बी.एस.के. की प्रगति एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित करवाना।

नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के. के दायित्व–

- डी.ई.आइ.सी0 मैनेजर के बैठने की व्यवस्था डी.पी.एम.यू. कार्यालय में की जानी है। जिन जनपदों में डी.ई.आई.सी. की स्थापना हो गई है वहॉ के डी.ई.आई.सी. मैनेजर के बैठने की व्यवस्था डी.ई.आई.सी. कार्यालय में सुनिश्चित करें।
- आर.बी.एस.के. त्रैमासिक समीक्षा बैठक करवाना सुनिश्चित करें, जिसमें संबन्धित विभाग के अधिकारियों, डी.ई.आई.सी. मैनेजर एवं समस्त ब्लाक के मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्य प्रतिभाग करेंगे। इस बैठक के साथ ही टीम के सदस्यों को कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारियां भी साझा की जायें तथा भ्रान्तियों का निवारण किया जाये। बैठक का कार्यवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं राज्य स्तर के साथ साझा करना।
- आर.बी.एस.के से संबंधित सूचनाओं को एच.एम.आई.एस., यू.पी.एच.एम.आई.सी., आर.बी.एस.के. साफ्टवेयर एवं मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप में विभिन्न स्तरों पर अपलोड कराना। उपलब्ध ऑकड़ों को जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही कराना।
- मोबाइल ऐप एवं कार्यक्रम संबंधित विशेष व्यवस्थाओं के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में एजेण्डा में स्थान प्राप्त कर चर्चा सुनिश्चित कराना।
- डी.ई.आई.सी. मैनेजर को समय–समय पर क्षेत्र भ्रमण हेतु एम0 एण्ड ई0 के तहत लगाये गये वाहन को उपलब्ध करवाना।
- प्रसव इकाईयों पर जन्मजात दोष से संबन्धित दिशा निर्देश दिनांक 10.04.2019 का अक्षरशः अनुपालन।
- जनपद में कार्यक्रम गतिविधियों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं फीडबैक शेयरिंग।
- वाहन पर विजिबिलिटी प्रोटोकॉल तथा उनकी समय से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–

- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम/2012–13/लेखा/पी.एफ.एम.एस./187/ 5067–2

दिनांक 04.02.2015 के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेण्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।

- राज्य स्तर के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / आपरेशनल गाइडलाइन / 2017–18 / 282 / 189–2(9) दिनांक 10.04.2018 द्वारा एस.पी.एम.यू. से अवमुक्त किये जाने वाले धनराशि की नयी व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किए गये हैं। उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गतिविधियों का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्रधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाएगा।

उपयुक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी एवं आर.बी.एस.के. कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य अधिकारी / कर्मचारी उत्तरदायी होंगे। उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोग करने के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस.पी.एम.यू. अनुभाग एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पृष्ठांकन : एस0पी0एम0यू0 / आर.बी.एस.के. / 2 / 2019–20 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, एस.पी.एम.यू.–एन.आर.एच.एम. उ0प्र0।
4. राज्य नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के., परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
6. समस्त जिला नोडल अधिकारी, आर.बी.एस.के. उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय / जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक, / लेखा प्रबंधक एन.आर.एच.एम. उ0प्र0।
8. समस्त डी.ई.आई.सी. मैनेजर, एन.एच.एम. उ0प्र0।

(डा0 मनोज कुमार शुक्ल)
महाप्रबंधक आर.बी.एस.के.

Annexure-1

District allocation for funds release under RBSK for 2019-20

Sl.No.	Name of District	No. of Block	No. of MHT	DEIC (including data card	Mobility support for mobile health team	Support for RBSK: CUG connection per	Medicine for Mobile health	Prepare detailed operational	RBSK Convergence/Monitoring meetings	DEIC Manager			Total fund to be release to DHS
				Phone and internet charges @ Rs. 2000 per annum for Each DEIC manager	Taxi permit vehicle for each MHT @ Rs. 33000 per vehicle/Month for 6 month	Rental charges of internet connection@ Rs. 200 per month per MHT for 12 months	Medicine for MHT @ Rs 5000 per team	One meeting for preparation of microplan for MHT @ Rs. 500 per block	Monitoring meeting @ Rs. 5000 per meeting for 3 meeting	No. of DEIC Manager (Existing)	No. of DEIC Manager (New)	Existing DEIC manager @Rs.41839 (5% increment and 10% layalty bonus and New DEIC manager @Rs 34650 per month for 12 months	
				1.3.1.7	**2.2.3**	**2.2.4**	**6.2.5.1**	**16.1.1.1.4**	**16.1.2.1.7**	**16.8.2.1.1**			
1	Agra	15	30	2000	5940000	72000	150000	7500	15000	1		502068	6688568
2	Aligarh	12	24	2000	4752000	57600	120000	6000	15000	1	1	917868	7561468
3	Allahabad	20	40	2000	7920000	96000	200000	10000	15000	1		502068	8745068
4	Ambedkar Nagar	9	18	2000	3564000	43200	90000	4500	15000	1		502068	4220768
5	Amethi	13	26	2000	5148000	62400	130000	6500	15000		1	415800	5779700
6	Amroha	6	12	2000	2376000	28800	60000	3000	15000		1	415800	2900600
7	Auraiya	7	14	2000	2772000	33600	70000	3500	15000		1	415800	3311900
8	Azamgarh	21	42	2000	8316000	100800	210000	10500	15000	1		502068	9156368
9	Baghpat	6	12	2000	2376000	28800	60000	3000	15000	1		502068	2986868
10	Bahraich	14	28	2000	5544000	67200	140000	7000	15000		1	415800	6191000
11	Ballia	17	34	2000	6732000	81600	170000	8500	15000		1	415800	7424900
12	Balrampur	9	18	2000	3564000	43200	90000	4500	15000	1		502068	4220768
13	Banda	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000		1	415800	3723200
14	Barabanki	15	30	2000	5940000	72000	150000	7500	15000	1		502068	6688568
15	Bareilly	15	30	2000	5940000	72000	150000	7500	15000		1	415800	6602300
16	Basti	14	28	2000	5544000	67200	140000	7000	15000	1		502068	6277268
17	Bijnor	11	22	2000	4356000	52800	110000	5500	15000	1		502068	5043368
18	Budaun	15	30	2000	5940000	72000	150000	7500	15000		1	415800	6602300
19	Bulandshahar	15	29	2000	5742000	69600	145000	7500	15000		1	415800	6396900
20	Chandauli	9	18	2000	3564000	43200	90000	4500	15000	1		502068	4220768
21	Chitrakoot	5	9	2000	1782000	21600	45000	2500	15000		1	415800	2283900
22	Deoria	16	32	2000	6336000	76800	160000	8000	15000		1	415800	7013600
23	Etah	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000		1	415800	3723200
24	Etawah	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000		1	415800	3723200
25	Faizabad	11	22	2000	4356000	52800	110000	5500	15000	1		502068	5043368
26	Farrukhabad	7	14	2000	2772000	33600	70000	3500	15000		1	415800	3311900
27	Fatehpur	13	26	2000	5148000	62400	130000	6500	15000		1	415800	5779700
28	Firozabad	9	18	2000	3564000	43200	90000	4500	15000	1		502068	4220768

Sl.No.	Name of District	No. of Block	No. of MHT	DEIC (including data card	Mobility support for mobile health team	Support for RBSK: CUG connection per	Medicine for Mobile health	Prepare detailed operational	RBSK Convergence/Monitoring meetings	DEIC Manager			Total fund to be release to DHS
				Phone and internet charges @ Rs. 2000 per annum for Each DEIC manager	Taxi permit vehicle for each MHT @ Rs. 33000 per vehicle/Month for 6 month	Rental charges of internet connection@ Rs. 200 per month per MHT for 12 months	Medicine for MHT @ Rs 5000 per team	One meeting for preparation of microplan for MHT @ Rs. 500 per block	Monitoring meeting @ Rs. 5000 per meeting for 3 meeting	No. of DEIC Manager (Existing)	No. of DEIC Manager (New)	Existing DEIC manager @Rs.41839 (5% increment and 10% layalty bonus and New DEIC manager @Rs 34650 per month for 12 months	
29	G.B. Nagar	4	8	2000	1584000	19200	40000	2000	15000	1	1	917868	4151068
30	Ghaziabad	4	8	2000	1584000	19200	40000	2000	15000	1		502068	2164268
31	Ghazipur	16	6	2000	1188000	14400	30000	8000	15000		1	415800	1673200
32	Gonda	16	32	2000	6336000	76800	160000	8000	15000		1	415800	7013600
33	Gorakhpur	19	38	2000	7524000	91200	190000	9500	15000	1		502068	8333768
34	Hamirpur	7	14	2000	2772000	33600	70000	3500	15000		1	415800	3311900
35	Hapur	4	8	2000	1584000	19200	40000	2000	15000	1		502068	2164268
36	Hardoi	19	38	2000	7524000	91200	190000	9500	15000	1		502068	8333768
37	Hathras	7	13	2000	2574000	31200	65000	3500	15000	1		502068	3192768
38	Jalaun	9	18	2000	3564000	43200	90000	4500	15000		1	415800	4134500
39	Jaunpur	21	42	2000	8316000	100800	210000	10500	15000		1	415800	9070100
40	Jhansi	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000	1		502068	9531468
41	Kannauj	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000		1	415800	3723200
42	Kanpur Dehat	10	20	2000	3960000	48000	100000	5000	15000		1	415800	4545800
43	Kanpur Nagar	10	20	2000	3960000	48000	100000	5000	15000		1	415800	4545800
44	Kasganj	7	14	2000	2772000	33600	70000	3500	15000		1	415800	3311900
45	Kaushambi	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000		1	415800	3723200
46	Kushinagar	14	28	2000	5544000	67200	140000	7000	15000		1	415800	6191000
47	Lakhimpur Kheri	15	30	2000	5940000	72000	150000	7500	15000		1	415800	6602300
48	Lalitpur	6	12	2000	2376000	28800	60000	3000	15000	1		502068	2986868
49	Lucknow	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000	1	1	917868	4225268
50	Maharajganj	12	24	2000	4752000	57600	120000	6000	15000		1	415800	5368400
51	Mahoba	4	8	2000	1584000	19200	40000	2000	15000	1		502068	2164268
52	Mainpuri	9	18	2000	3564000	43200	90000	4500	15000		1	415800	4134500
53	Mathura	10	20	2000	3960000	48000	100000	5000	15000	1		502068	4632068
54	Mau	9	18	2000	3564000	43200	90000	4500	15000		1	415800	4134500
55	Meerut	12	24	2000	4752000	57600	120000	6000	15000	1		502068	5454668
56	Mirzapur	12	24	2000	4752000	57600	120000	6000	15000	1		502068	5454668
57	Moradabad	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000	1		502068	3809468
58	Muzaffarnagar	9	18	2000	3564000	43200	90000	4500	15000		1	415800	4134500
59	Pilibhit	7	14	2000	2772000	33600	70000	3500	15000		1	415800	3311900
60	Pratapgarh	17	34	2000	6732000	81600	170000	8500	15000		1	415800	7424900
61	Raibareilly	18	36	2000	7128000	86400	180000	9000	15000		1	415800	7836200

Sl.No.	Name of District	No. of Block	No. of MHT	DEIC (including data card	Mobility support for mobile health team	Support for RBSK: CUG connection per	Medicine for Mobile health	Prepare detailed operational	RBSK Convergence/Monitoring meetings	DEIC Manager			Total fund to be release to DHS
				Phone and internet charges @ Rs. 2000 per annum for Each DEIC manager	Taxi permit vehicle for each MHT @ Rs. 33000 per vehicle/Month for 6 month	Rental charges of internet connection@ Rs. 200 per month per MHT for 12 months	Medicine for MHT @ Rs 5000 per team	One meeting for preparation of microplan for MHT @ Rs. 500 per block	Monitoring meeting @ Rs. 5000 per meeting for 3 meeting	No. of DEIC Manager (Existing)	No. of DEIC Manager (New)	Existing DEIC manager @Rs.41839 (5% increment and 10% layalty bonus and New DEIC manager @Rs 34650 per month for 12 months	
62	Rampur	6	12	2000	2376000	28800	60000	3000	15000	1		502068	2986868
63	Saharanpur	11	22	2000	4356000	52800	110000	5500	15000	1		502068	5043368
64	Sambhal	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000		1	415800	3723200
65	Sant Kabir Nagar	9	18	2000	3564000	43200	90000	4500	15000		1	415800	4134500
66	Sant Ravidas Nagar	5	10	2000	1980000	24000	50000	2500	15000		1	415800	2489300
67	Shahjahanpur	15	24	2000	4752000	57600	120000	7500	15000		1	415800	5369900
68	Shamli	5	10	2000	1980000	24000	50000	2500	15000		1	415800	2489300
69	Sharawasti	5	10	2000	1980000	24000	50000	2500	15000		1	415800	2489300
70	Siddarth Nagar	14	3	2000	594000	7200	15000	7000	15000		1	415800	1056000
71	Sitapur	19	38	2000	7524000	91200	190000	9500	15000		1	415800	8247500
72	Sonbhadra	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000	1		502068	3809468
73	Sultanpur	13	26	2000	5148000	62400	130000	6500	15000	1		502068	5865968
74	Unnao	16	32	2000	6336000	76800	160000	8000	15000		1	415800	12735600
75	Varanasi	8	16	2000	3168000	38400	80000	4000	15000		1	415800	3723200
	TOTAL	**817**	**1574**	**150000**	**311652000**	**3777600**	**7870000**	**408500**	**1125000**	**31**	**47**	**35106708**	**374795808**
	in lakh			**1.50**	**3116.52**	**37.78**	**78.70**	**4.09**	**11.25**			**351.07**	**3747.96**

Note : One block of Azamgarh, Badohi and Bulandshahar is non functional.

Annexure-2

District allocation for funds release under RBSK for 2019-20

Sl.NO.	District Name	No. of block	No. of AYUSH (Existing)	Existing MO-AYUSH Honoraria @ Rs. 32162/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of BDS	No. of MBBS	BDS Honoraria @ Rs. 46902/PM and MBBS @ Rs. 48244/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of Staff Nurse	Honoraria @ Rs. 22110 per month for 12 months (including 5% increment)	No. of ANMs (existing)	Existing ANM Honoraria @ Rs. 13400/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of paramedical	Honoraria @ Rs. 15920/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of Pharmacist (existing)	Existing Pharmacist Honoraria @ Rs. 17229/PM for 12 months (including 5% increment)	Fund to be released to DHS
	FMR Code		8.1.7.1.a		8.1.7.1.b			8.1.7.1.c		8.1.7.1.d		8.1.7.1.e				
1	Agra	15	45	17367480	10	3	7365024	25	6633000	5	804000	24	4584960	4	826992	37581456
2	Aligarh	12	38	14665872	6	2	4534800	21	5571720	0	0	21	4011840	2	413496	29197728
3	Allahabad	20	68	26244192	3	9	6898824	33	8755560	5	804000	37	7068480	0	0	49771056
4	Ambedkar Nagar	9	29	11192376	3	2	2846328	9	2387880	9	1447200	15	2865600	2	413496	21152880
5	Amethi	13	34	13122096	8	3	6239376	12	3183840	9	1447200	23	4393920	3	620244	29006676
6	Amroha	6	16	6175104	6	0	3376944	9	2387880	2	321600	11	2101440	1	206748	14569716
7	Auraiya	7	22	8490768	3	0	1688472	2	530640	11	1768800	0	0	12	2480976	14959656
8	Azamgarh	21	39	15051816	18	1	10709760	21	5571720	10	1608000	40	7641600	0	0	40582896
9	Baghpat	6	17	6561048	3	0	1688472	9	2387880	0	0	9	1719360	3	620244	12977004
10	Bahraich	14	35	13508040	12	1	7332816	15	3979800	10	1608000	26	4967040	2	413496	31809192
11	Ballia	17	59	22770696	0	8	4631424	8	2122560	26	4180800	0	0	34	7029432	40734912
12	Balrampur	9	24	9262656	7	1	4518696	2	530640	10	1608000	16	3056640	2	413496	19390128
13	Banda	8	22	8490768	5	0	2814120	11	2918520	3	482400	13	2483520	2	413496	17602824
14	Barabanki	15	52	20069088	5	3	4550904	29	7694280	0	0	28	5349120	1	206748	37870140
15	Bareilly	15	36	13893984	13	4	9632424	23	6102360	5	804000	23	4393920	2	413496	35240184
16	Basti	14	47	18139368	7	1	4518696	0	0	28	4502400	21	4011840	3	620244	31792548
17	Bijnor	11	26	10034544	3	4	4004184	22	5837040	0	0	21	4011840	1	206748	24094356
18	Budaun	15	40	15437760	11	1	6769992	14	3714480	16	2572800	29	5540160	1	206748	34241940
19	Bulandshahar	15	41	15823704	10	2	6786096	14	3714480	13	2090400	25	4776000	2	413496	33604176
20	Chandauli	9	26	10034544	4	1	2830224	9	2387880	9	1447200	15	2865600	3	620244	20185692
21	Chitrakoot	5	14	5403216	2	0	1125648	1	265320	3	482400	8	1528320	1	206748	9011652
22	Deoria	16	58	22384752	2	0	1125648	0	0	32	5145600	1	191040	31	6409188	35256228
23	Etah	8	24	9262656	4	1	2830224	16	4245120	0	0	14	2674560	1	206748	19219308
24	Etawah	8	25	9648600	5	0	2814120	7	1857240	7	1125600	13	2483520	1	206748	18135828
25	Faizabad	11	31	11964264	6	2	4534800	8	2122560	12	1929600	16	3056640	5	1033740	24641604
26	Farrukhabad	7	22	8490768	3	0	1688472	10	2653200	2	321600	14	2674560	0	0	15828600
27	Fatehpur	13	40	15437760	11	0	6191064	13	3449160	9	1447200	23	4393920	1	206748	31125852
28	Firozabad	9	30	11578320	5	0	2814120	8	2122560	9	1447200	13	2483520	3	620244	21065964
29	GB Nagar	4	12	4631328	4	0	2251296	6	1591920	1	160800	6	1146240	1	206748	9988332
30	Ghaziabad	4	13	5017272	3	0	1688472	4	1061280	4	643200	5	955200	2	413496	9778920
31	Ghazipur	16	3	1157832	3	2	2846328	6	1591920	5	804000	0	0	1	206748	6606828
32	Gonda	16	50	19297200	1	0	562824	0	0	11	1768800	1	191040	22	4548456	26368320
33	Gorakhpur	19	64	24700416	3	6	5162040	31	8224920	0	0	33	6304320	5	1033740	45425436

Sl.NO.	District Name	No. of block	No. of AYUSH (Existing)	Existing MO-AYUSH Honoraria @ Rs. 32162/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of BDS	No. of MBBS	BDS Honoraria @ Rs. 46902/PM and MBBS @ Rs. 48244/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of Staff Nurse	Honoraria @ Rs. 22110 per month for 12 months (including 5% increment)	No. of ANMs (existing)	Existing ANM Honoraria @ Rs. 13400/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of paramedical	Honoraria @ Rs. 15920/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of Pharmacist (existing)	Existing Pharmacist Honoraria @ Rs. 17229/PM for 12 months (including 5% increment)	Fund to be released to DHS
	FMR Code		8.1.7.1.a		8.1.7.1.b			8.1.7.1.c		8.1.7.1.d		8.1.7.1.e				
34	Hamirpur	7	21	8104824	5	1	3393048	9	2387880	3	482400	13	2483520		0	16851672
35	Hapur	4	11	4245384	5	0	2814120	5	1326600	2	321600	6	1146240	2	413496	10267440
36	Hardoi	19	57	21998808	15	0	8442360	20	5306400	18	2894400	30	5731200	4	826992	45200160
37	Hathras	7	16	6175104	5	1	3393048	4	1061280	7	1125600	12	2292480	0	0	14047512
38	Jalaun	9	26	10034544	6	1	3955872	14	3714480	2	321600	17	3247680	0	0	21274176
39	Jaunpur	21	42	16209648	14	1	8458464	7	1857240	19	3055200	41	7832640	0	0	37413192
40	Jhansi	8	27	10420488	5	0	2814120	12	3183840	3	482400	14	2674560	1	206748	19782156
41	Kannauj	8	23	8876712	4	0	2251296	13	3449160	1	160800	15	2865600	1	206748	17810316
42	Kanpur Dehat	10	28	10806432	3	6	5162040	2	530640	18	2894400	1	191040	15	3101220	22685772
43	Kanpur Nagar	10	21	8104824	7	5	6834408	11	2918520	9	1447200	17	3247680	3	620244	23172876
44	Kashganj	7	24	9262656	4	0	2251296	8	2122560	6	964800	14	2674560	0	0	17275872
45	Kaushambi	8	27	10420488	4	1	2830224	7	1857240	9	1447200	16	3056640	0	0	19611792
46	Kushinagar	14	37	14279928	8	4	6818304	1	265320	24	3859200	23	4393920	4	826992	30443664
47	Lakhimpur Kheri	15	38	14665872	9	1	5644344	12	3183840	10	1608000	20	3820800	4	826992	29749848
48	Lalitpur	6	15	5789160	5	0	2814120	9	2387880	3	482400	9	1719360	2	413496	13606416
49	Lucknow	8	26	10034544	2	4	3441360	8	2122560	8	1286400	12	2292480	4	826992	20004336
50	Maharajganj	12	36	13893984	8	0	4502592	3	795960	21	3376800	22	4202880	0	0	26772216
51	Mahoba	4	12	4631328	3	0	1688472	3	795960	4	643200	6	1146240	1	206748	9111948
52	Mainpuri	9	28	10806432	7	0	3939768	8	2122560	8	1286400	17	3247680	0	0	21402840
53	Mathura	10	23	8876712	3	1	2267400	18	4775760	0	0	20	3820800	0	0	19740672
54	Mau	9	26	10034544	6	2	4534800	16	4245120	2	321600	18	3438720	0	0	22574784
55	Meerut	12	34	13122096	5	6	6287688	16	4245120	6	964800	20	3820800	0	0	28440504
56	Mirzapur	12	34	13122096	8	4	6818304	15	3979800	1	160800	23	4393920	0	0	28474920
57	Moradabad	8	27	10420488	4	1	2830224	8	2122560	8	1286400	15	2865600	0	0	19525272
58	Muzaffarnagar	9	24	9262656	5	1	3393048	8	2122560	7	1125600	17	3247680	0	0	19151544
59	Pilibhit	7	17	6561048	4	1	2830224	9	2387880	0	0	12	2292480	2	413496	14485128
60	Pratapgarh	17	46	17753424	13	2	8474568	8	2122560	23	3698400	30	5731200	3	620244	38400396
61	Raibareilly	18	60	23156640	5	1	3393048	18	4775760	17	2733600	7	1337280	25	5168700	40565028
62	Rampur	6	23	8876712	0	1	578928	0	0	12	1929600	0	0	11	2274228	13659468
63	Saharanpur	11	36	13893984	7	1	4518696	14	3714480	7	1125600	20	3820800	0	0	27073560
64	Sambhal	8	23	8876712	3	0	1688472	8	2122560	8	1286400	14	2674560	1	206748	16855452
65	Sant Kabir Nagar	9	26	10034544	7	0	3939768	6	1591920	12	1929600	18	3438720	0	0	20934552
66	Sant Ravidas Nagar	5	17	6561048	2	0	1125648	4	1061280	6	964800	8	1528320	1	206748	11447844
67	Shahjahanpur	15	14	5403216	10	0	5628240	20	5306400	1	160800	19	3629760	1	206748	20335164
68	Shamli	5	13	5017272	3	1	2267400	7	1857240	0	0	10	1910400	0	0	11052312
69	Sharawasti	5	14	5403216	3	0	1688472	6	1591920	3	482400	9	1719360	1	206748	11092116

Sl.NO.	District Name	No. of block	No. of AYUSH (Existing)	Existing MO-AYUSH Honoraria @ Rs. 32162/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of BDS	No. of MBBS	BDS Honoraria @ Rs. 46902/PM and MBBS @ Rs. 48244/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of Staff Nurse	Honoraria @ Rs. 22110 per month for 12 months (including 5% increment)	No. of ANMs (existing)	Existing ANM Honoraria @ Rs. 13400/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of paramedical	Honoraria @ Rs. 15920/PM for 12 months (including 5% increment)	No. of Pharmacist (existing)	Existing Pharmacist Honoraria @ Rs. 17229/PM for 12 months (including 5% increment)	Fund to be released to DHS
	FMR Code		8.1.7.1.a		8.1.7.1.b			8.1.7.1.c		8.1.7.1.d		8.1.7.1.e				
70	Siddharth Nagar	14	1	385944	0	3	1736784	3	795960	0	0	0	0	0	0	2918688
71	Sitapur	19	58	22384752	14	2	9037392	25	6633000	10	1608000	37	7068480	1	206748	46938372
72	Sonbhadra	8	25	9648600	4	0	2251296	14	3714480	0	0	11	2101440	3	620244	18336060
73	Sultanpur	13	33	12736152	4	1	2830224	5	1326600	19	3055200	1	191040	21	4341708	24480924
74	Unnao	16	54	20840976	9	0	5065416	28	7428960	1	160800	26	4967040	2	413496	38876688
75	Varanasi	8	25	9648600	7	0	3939768	5	1326600	11	1768800	14	2674560	2	413496	19771824
	Total	**817**	**2270**	**876092880**	**434**	**110**	**307947696**	**815**	**216235800**	**595**	**95676000**	**1198**	**228865920**	**269**	**55615212**	**1780433508**
	in lakh			**8760.93**			**3079.48**		**2162.36**		**956.76**		**2288.66**		**556.15**	**17804.34**

Note : One block of Azamgarh, Badohi and Bulandshahar is non functional.